



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276330
CG-DL-E-21092026-276330

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948
No. 253]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/BHADRA 26, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
शुद्धिपत्र
(जांच शुरूआत अधिसूचना)
नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2026

सेतु मामला आईडी:एडी/एसी/006/2026

विषय : चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) रेजिन – चाहे यौगिक में आगे प्रसंस्कृत हो या नहीं" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मलेशिया, जापान और थाईलैंड के माध्यम से तथाकथित प्रवंचना के संबंध में प्रवंचनारोधी जांच

- फा.सं. 7/29/2026-डीजीटीआर. उपर्युक्त प्रवंचनारोधी जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी दिनांक 16 सितंबर, 2026 की जांच शुरूआत अधिसूचना के क्रम में, शीर्षक "छ. प्रवंचनारोधी जांच की शुरूआत" के अंतर्गत पैरा 9 के बाद निम्नलिखित पैरा 9क (9A) अंतःस्थापित किया जाएगा:

- 9क. नियमावली के नियम 26(4क) के अनुसार, प्राधिकारी केंद्र सरकार को सिफारिश करते हैं कि वर्तमान जांच के अंतर्गत शामिल जांचाधीन उत्पाद के आयातों का अनंतिम मूल्यांकन किया जाए और आयातकों से उपयुक्त गारंटी प्राप्त की जाए, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा नियमावली के नियम 27 के उप-नियम (3) के अंतर्गत निर्णय नहीं लिया जाता है।
2. दिनांक 16 सितंबर, 2026 की जांच शुरूआत अधिसूचना की अन्य सभी विषय-वस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
CORRIGENDUM

INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 17th September, 2026
SETU Case ID: AD/AC/006/2026

Subject: Anti-circumvention investigation concerning alleged circumvention through Malaysia, Japan and Thailand of the anti-dumping duty imposed on imports of “Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Resin – whether or not further processed into compound” originating in or exported from China PR and Korea RP

1. **F. No. 7/29/2026-DGTR:** In continuation of the Initiation Notification dated 16th September, 2026 issued by the Designated Authority in the above-mentioned anti-circumvention investigation, the following paragraph shall be inserted as **paragraph 9A**, after paragraph 9 under the heading **“G. INITIATION OF AN ANTI-CIRCUMVENTION INVESTIGATION”**:

9A. In terms of Rule 26(4A) of the Rules, the Authority recommends to the Central Government that imports of the Product Under Investigation covered by the present investigation be provisionally assessed and that an appropriate guarantee may be obtained from the importers, till the time a decision under sub-rule (3) of Rule 27 of the Rules is taken by the Central Government.

2. All other contents of the Initiation Notification dated 16th September, 2026 shall remain unchanged.

AMITABH KUMAR, Designated Authority